FTS- 22328

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
प्लॉट नं0 01, सैक्टर नॉलेज पार्क–04,
ग्रेटर नोएडा

पत्रांक : ग्रेनो / बिल्डर्स / 2025 / 233
दिनांक : 22 अप्रेल, 2025

कार्यालय आदेश

प्राधिकरण की 135वीं बोर्ड बैठक दिनांक 15.06.2024 के मद संख्या 135 / 04 में अनुमोदित प्रस्ताव के क्रम में जारी कार्यालय आदेश संख्या ग्रेनो / बिल्डर्स / 2024 / 1226 दिनांक 01.08.2024 के माध्यम से **समस्त प्रकरणों में** प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय की तिथि दिनांक 22.07.2024 से 06 माह के अंदर सब लीजडीड निष्पादित कराने की शर्त के साथ विलम्ब से सब लीजडीड निष्पादित कराने पर रू0 100 / 50 प्रतिदिन लगने वाले विलम्बशुल्क में छूट प्रदान की गई थी, जिसकी समय अवधि दिनांक 21.01.2025 को समाप्त हो चुकी है ।

उपरोक्त सम्बन्ध मे CREDAI NCR (Western U.P.) एवं NEFOWA Foundation द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांक 21.03.2025 के माध्यम बायर्स के हितों को दृष्टिगत रखते हुऐ उक्त सुविधा को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया गया है ।

यहॉ यह उल्लेखनीय है कि कतिपय परियोजनाऐं इस प्रकार की है, जिनमें पूर्व में कार्यपूर्ति जारी हो चुका है, परन्तु देयता जमा न होने के कारण सब लीजडीड की अनुमति प्रदान नहीं की गई । अब उक्त नीति के अंतर्गत जिन प्रकरणों में रि–शिडयूलमेंट हुआ है, उनमें जैसे–जैसे आवंटी द्वारा किश्तों की धनराशि जमा कराई जा रही है, वैसे वैसे भूखण्ड के सापेक्ष जमा धनराशि के सापेक्ष पूर्व में कार्यपूर्ति प्राप्त यूनिट्स की सब लीजडीड की अनुमति भी प्रदान की जायेगी, जिसके अंतर्गत जिन प्रकरणों में कार्यपूर्ति प्राप्त किये हुऐ एक वर्ष से अधिक का समय हो चुका है उन प्रकरणों में उपरोक्तानुसार पैनल्टी आरोपित होगी / हो रही है।

अतः उपरोक्त तथ्यों तथा CREDAI NCR (Western U.P.) एवं NEFOWA Foundation के उपरोक्तानुसार अनुरोध तथा होम बायर्स के हितों को दृष्टिगत रखते हुऐ प्राधिकरण की 138वीं बोर्ड बैठक दिनांक 29.03.2025 के मद संख्या 138 / 01 में उपरोक्त छूट को बोर्ड के अनुमोदन की तिथि से तीन माह के लिये और बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया था, जिस पर मा0 बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है । अतः मा0 बोर्ड के उपरोक्तानुसार अनुमोदन के क्रम में प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय की तिथि दिनांक 18.04.2025 से आगामी 03 माह के अंदर सब लीजडीड निष्पादित कराने की शर्त के साथ **समस्त प्रकरणों में** विलम्ब से सब लीजडीड निष्पादित कराने पर रू0 100 / 50 प्रतिदिन लगने वाले विलम्बशुल्क में छूट प्रदान की जाती है । यहॉ यह भी सपष्ट किया जाता है कि जिन सब लेजी / बिल्डर्स कम्पनियों द्वारा सब लीजडीड विलम्बशुल्क के मद में जो धनराशि जमा करा दी है वह न तो वापस होगी और न ही समयोजित की जायेगी ।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होंगे ।

(सौम्य श्रीवास्तव)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपिः–

1. स्टॉफ ऑफीसर को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित ।
2. समी विभागाध्यक्ष (   )
3. प्रबन्धक (सिस्टम) को प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित ।

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी